

4892  
13/05/13

अनुसूची-14 फारम संख्या-562।

# न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)



आदेश पत्रक- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत  
धारा 4 (ई) अन्तर्गत दायर वाद संख्या-129/2013-14  
पवन राय बनाम रामलखन राय एवं एक अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक पवन राय, पिता- स्व0 रामेश्वर राय, ग्राम- मधपुर उजान टोले- ललोखा, पोस्ट- लोहना रोड, थाना-सकतपुर, जिला-दरभंगा के वाद पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए इस वाद की प्रविष्टि दिनांक- 11.05.2013 को की गई है तथा विपक्षियों को निबंधित सूचना दिनांक- 30.05.2013 को निर्गत की गई है। इस वाद में विपक्षी के रूप में (1) रामलखन राय पिता-स्व0 रामेश्वर राय एवं (2) दशरथ राय पिता- बच्चेलाल राय, ग्राम-मधपुर उजान टोले ललोखा, पोस्ट-लोहना रोड, थाना-सकतपुर, जिला-दरभंगा के निवासी हैं। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में दिनांक- 28.05.1982 को अमरनाथ ठाकुर से रामलखन राय को पवन राय के नाम खरीदगी की गयी है। जिसमें आवेदक के कथना अनुसार आम एवं बाँस का वृक्ष है।</p> <p>आवेदक ने वाद पत्र को शपथ पत्र के माध्यम से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क फ्रैकिंग मशीन सं0-3355 से दिनांक-11.05.13 को जमा कर दाखिल किया है। विपक्षियों ने सूचना पाकर कार्रवाई में भाग लिया है तथा अपनी ओर से Rejoinder दाखिल किया गया है, जिसपर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई दिनांक-13.07.2013 को पूर्ण की गई है।</p> <p>आवेदक ने अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि ये और विपक्षी रामलखन राय दोनों सहोदर भाई हैं तथा प्रश्नगत भूमि दिनांक- 28.05.1982 को दोनों भईयों के नाम केवाला कराई गई, जिसमें आम एवं बाँस का वृक्ष भी लगा हुआ है।</p> <p>आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि ये बहुत दिनों से प्रश्नगत जमीन का बँटवारा करने के लिए विपक्षी विपक्षी सं0- 01 से आग्रह किया करते थे, परन्तु विपक्षी न0- 01 के कान में जू तक नहीं रेंगा तथा बँटवारा करने को तैयार नहीं हुए और दिनांक- 06.04.2013 को विपक्षी रामलखन राय ने उसमें से 06 धुर जमीन विपक्षी सं0- 02 दशरथ राय के हाथ बेच दिया है।</p> <p>आवेदक का कहना है कि विपक्षी सं0- 01 ने इन्हें बिना बताए हुए तथा बिना बँटवारा किए हुए प्रश्नगत जमीन में से 06 धुर भूमि दुसरे के हाथ बेच कर संगीन जुर्म किया है।</p> <p>आवेदक ने विपक्षी सं0- 01 द्वारा विपक्षी सं0- 02 के पक्ष में निबंधित केवाला को रद्द व बातिल घोषित करने तथा यह निर्देश देने का</p>	

19/05/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के वा टिप्पणी, तारीख-सहि
	<p>अनुरोध किया है कि बिना कोई बँटवारा के आम का या कोई पेड़ नहीं काटा जाय तथा न्यायालय से प्रश्नगत भूमि का बँटवारा सही रूप से कर दिया जाय।</p> <p>आवेदक ने दिनांक- 28.05.1982 के केवाला अमरनाथ ठाकुर बनाम रामलखन राय वो पवन राय तथा केवाला दिनांक- 06.04.2013 रामलखन राय बनाम दशरथ राय की छाया प्रति दाखिल किया है।</p> <p>विपक्षियों की ओर से दाखिल Rejoinder में आवेदक द्वारा दाखिल वाद को B.L.D.R - Act- 2009 के तहत Maintainable नहीं होना कहा गया है।</p> <p>रामलखन राय विपक्षी का कहना है कि यह सत्य है कि ये बड़े भाई है, लेकिन यह गलत है कि बँटवारा करने से इन्होंने इन्कार कर दिया। यह भी सत्य है कि दोनों भाई के नाम दिनांक-18.05.1982 को खाता नं0-42 खेसरा नं0-260 की 12 धुर भूमि संयुक्त रूप से एक निबंधित दस्तावेज द्वारा क्रय की गई तथा दोनों भाई 06 - 06 धुर भूमि पर दखल कब्जे में चले आये, इसलिए बिक्री करने के लिए बँटवारे की कोई आवश्यकता नहीं हुई और इन्होंने अपने हिस्से की भूमि विपक्षी सं0- 02 को बिक्री कर दिया है, जिन्हे Physical possession बयनामा की तिथि से चला आ रहा है।</p> <p>विपक्षी का यह भी कहना है कि इस न्यायालय को विपक्षी सं0- 01 द्वारा विपक्षी सं0- 02 के पक्ष में निबंधित बयनामा को Cancel करने का Power नहीं है और दिनांक 06.04.2013 का बयनामा legal, genuine, operative तथा within the law है, साथ ही कहा गया है कि इस न्यायालय को केवल खतियानी भूमि को partition करने का power है, न कि Purchased through Registered sale deed वाली भूमि को Partition करने का। इस प्रकार विपक्षी ने प्रस्तुत वाद को बिना merit का होने के आधार पर Reject करने का अनुरोध किया है।</p> <p>उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे-प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई merit नहीं है तथा नहीं आवेदक का वाद B.L.D.R - Act 2009 के किसी भी प्रावधानों अन्तर्गत पोषणीय (Maintainable) है, चूँकि आवेदक एवं विपक्षी सं0- 01 आपस में खास सहोदर भाई है जिनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रश्नगत भूमि दिनांक- 28.05.1982 को क्रय की गई, जिसमें 06-06 धुर दोनों भाई का कब्जा हुआ तथा विपक्षी सं0- 01 ने अपने कब्जे एवं हिस्से की भूमि 06 धुर को ही विपक्षी सं0- 02 के पक्ष में दिनांक- 06.04.2013 को बयनामा कर अपना स्वात्वाधिकार सौंप दिया है, जिसपर Physical रूप से विपक्षी सं0- 02 का possession है। यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक के हिस्से की भूमि बची हुई है, जिसपर आवेदक काबिज है।</p>	

11/9/13

आदेश की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के वारे टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>आवेदक के द्वारा अपने वाद पत्र के माध्यम से माँगी गई अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का होना भी विदित होता है। चूँकि इस न्यायालय को Sale deed को Cancel करने तथा उसके legal genuines पर विचारण करने की शक्ति नहीं है, बल्कि इसके लिए सिर्फ व्यवहार न्यायालय ही सक्षम है।</p> <p>उपरोक्त विश्लेषणोपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद B.L.D.R - Act 2009 के Maintainable नहीं होना तथा वाद बिना merit का होना विदित है, जिस परिप्रेक्ष्य में वाद को खारीज किया जाना समीचिन प्रतीत होता है।</p> <p>अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद को बिना merit का होने तथा वाद Maintainable नहीं होने की स्थिति में खारीज किया जाता है।</p> <p>अभिलेख संचिकास्त करें।</p> <p>लेखापित्त एव शुद्धित    11/10/2013  भूमि सुधार उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p> <p>  11/10/2013  भूमि सुधार उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p>	